न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/27/2016	29–07–2016	21–03–2018

1–प्रभात पुत्र श्री ओमकार जाति यादव निवासी ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

अपीलान्टस

बनाम

1–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राज0
2–श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री शीशराम जाति यादव निवासी ग्राम दादीया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड का निर्णय दिनांक 15.02.2016 नामान्तकरण संख्या 925 ग्राम शेरपुर, तहसीलदार बहरोड जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री सुबेसिंह यादव –वकील अपीलान्टस
02 श्री रामेश्वर दयाल,श्री मनीष कुमावत खण्डेलवाल –वकील रेस्पो0 02

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 15.02.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 925 ग्राम शेरपुर,तहसील बहरोड जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 925 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड़ असल रैस्पॉडेन्ट संख्या 02 सुमन देवी ने अन्य लोगो के साथ एकराय होकर विवादित आराजी से मिन अपीलान्ट को जबरन बेदखल करने व कब्जा करना का प्रयास किया, जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्राप्ति हेतु दिनांक 19.07.2016 को आवेदन किया जिसकी नकल 21.07.2016 को प्राप्त हुई। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा अपना निर्णय दिनांक 15.02.2016 पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व निर्णय 29.09.2015 की अनदेखी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सुमन देवी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। विवादित आराजी खसरा नंबर 662 रकबा 0.1701है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 की बाबत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर राज0 रिमांड प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, अलवर के निर्णय दिनांक 03.06.2015 बाबत नामान्तरकरण संख्या 797 ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड निर्णय दिनांक 17.06.2013 का साक्षय सबूत लेकर सही आधार पर निर्णय 29.09.2015 पारित किया गया, जिसमें मिन अपीलान्ट का 232/1701 भाग मानते हुए पटवारी हल्का को नया अंकन दर्ज कर नामान्तरकरण प्रस्तावित करने के आदेश दिये, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सुमन देवी अपने हिस्सा का बेचान समशेरसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह कौम राजपूत साकिन रूध बेहरोज मुण्डावर व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रोशनलाल पुत्र फूलचन्द कौम माली साकिन ढाणी अपनी कोठी कोटपूतली को कर चुकी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बहरोड का आदेश दिनांक 15.02.2016 बाबत नामान्तरकरण संख्या 925 वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड अपास्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 662 रकबा 0.1701है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड में अपीलान्ट का निहित भाग 232/1701 हिस्से की बाबत संशोधित इंतकाल मुताबिक निर्णय 29.09.2015 स्वीकृत फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट का 1733/2300 हिस्सा था जिसमें से उसने 1050/2300 हिस्सा रेस्पोडेंट नं0 2 को बेच दिया था जिसका इन्तकाल भी दर्ज होकर तस्दीक कर दिया गया शेष 683/2300 हिस्सा अपीलान्ट का शेष रहा जिसमें से 599 वर्गमीटर अवाप्त किये जाने के बाद शेष भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करना चाहिये था ना कि सालिम हिस्सा 683/2300 दर्ज करना चाहिये अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 15.02.2016 के विरूद्व दिनांक 29.07.2016 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब पॉच माह विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है, पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्षों की बहस उपरान्त निष्कर्ष है, कि तहसीलदार बहरोड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 की पालना में नामान्तरकरण पारित नही कर निर्णय से भिन्न नामान्तरकरण पारित किया है, तथा उसका कोई स्पष्ट कारण उसके निर्णय में उल्लेखित नही किया है, तथा निर्णय से भिन्न नामान्तरकरण पारित करने से पहले उभयपक्षों को सुना जाना चाहिए था। चुंकि निर्णय तथा उसकी पालना में विरोधाभाष है, तथा नामान्तरकरण में उभयपक्षों को नही सुना गया है, अतः नामान्तरकरण दिनांक 15.02.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। कि उभयपक्षों का सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करें, तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 21–03–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)